हरियाणा विधान सभा सचिवालय

29 अगस्त, 2023

के लिए स्वीकृत

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-9

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 9 के द्वारा, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक ने सिरसा के गांव नारायण खेड़ा, तहसील ऐलनाबाद के 4 किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्र्तगत खरीफ सीजन की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर लगातार कई दिन से जलघर की टंकीपर चढ़े हुए है। इस क्षेत्र के किसानों को खरीफ फसल 2022 का बीमा का मुआवजा नहीं मिलने के कारण किसान 5 मई से नाथूसरी चौपटा तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे है। इस प्रदर्शन को लगभग 90 दिन से अधिक समय बीत चुका है परंतु सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए किसानों की कोई सुध नहीं ली गई है। जिसको लेकर पूरे जिले के किसानों में सरकार के प्रति गहरा रोष और आक्रोष है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे।

चण्डीगढ़ आर.के.नांदल

दिनांक 25 अगस्त 2023 सचिव

श्री जय प्रकाश दलाल, कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्री, हरियाणा द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 9 का उत्तर

राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से लागू की जा रही है। खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंग व रबी सीजन में गेहूँ, सरसों, चना, जौं व सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जा रहा है। राज्य को कुल तीन कलस्टर में विभक्त करते हुए योजना को लागू किया जा रहा है। पहले और दूसरे कलस्टर में 7 जिले है जबकि तीसरे कलस्टर में 8 जिले है। इस योजना के तहत किसानों का प्रीमियम का हिस्सा खरीफ के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत, रबी के लिए बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत तथा बागवानी व वाणिज्यिक फसलों के लिए 5 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय इस बारें में आपको अवगत करवाया जाता है कि असल में यह मामला सिरसा जिलें से सम्बंधित है। वर्तमान समय में सिरसा पहले कलस्टर में है तथा एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी जिलें में कार्य कर रही है। खरीफ 2022 के दौरान बीमा कम्पनी एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी द्वारा विभाग के फसल कटाई प्रयोंगों की प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कंपनी तथा विभाग के बीच कानूनी समझौता है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बिंदु संख्या 30 के अनुसार योजना की शिकायत तंत्र प्रणाली बनाई गई है जिसमें जिला स्तर पर जिला स्तरीय निगरानी समिति, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय निगरानी समिति/राज्य तकनीकी सलाहकार समिति तथा राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी सलाहकार समिति आदि शिकायतों के निवारण हेतू गठित की गई है। सिरसा जिले के किसानों द्वारा उपायुक्त सिरसा के समक्ष अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गए। जिसके उपरांत राज्य स्तर पर विभाग ने किसानों के मुददे को तथ्यों सहित राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष रखा। राज्य तकनीकी सलाहकार समिति ने किसानों के पक्ष में फैसला करते हुए बीमा कंपनी को मुआवजा जारी करने हेतू निर्देश दिए। परन्तु कानूनी प्रावधानों के तहत बीमा कम्पनी ने राज्य तकनीकी सलाहकार समिति का फैसला से असहमत होते हुए इसकी अपील भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति के पास की। जिसके उपरान्त मामला भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष रखा गया। कृषि विभाग द्वारा तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष सभी तथ्यों सहित किसानों के पक्ष को मजबूती के साथ रखा। भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति ने 21-08-2023 को अपना निर्णय पारित किया है जिसमें किसानों की जीत हुई। विभाग व सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। तकनीकी सलाहकार समिति ने अपने निर्णय में पूर्व में पारित हुए राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के फैसला को सही मानते हुए एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी को 623 करोड़ रुपए का अनुमानित क्लेम/मुआवजा तुरन्त जारी करने के आदेश दिये। जिसकी सूचना पाकर किसानों में खुशी की लहर दौड़ गयी और किसान टैंकी से उतर गए तथा किसानों का धरना भी समाप्त हो गया। आशा है कि किसानों को मुआवजा राशि बीमा कंपनी द्वारा शीघ्र ही वितरित कर दी जाएगी। अतः कृषि विभाग, हरियाणा द्वारा बीमा कम्पनी एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी को भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा पारित फैसले के अनुरुप मुआवजा राशि शीघ्र जारी करने बारे निर्देश दिया गया है।

<u>नोट फॉर पैड</u>

<u>ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-9</u>

राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से लागू की जा रही है। खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का, कपास व मूंग रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना, जौं, सूरजमुखी फसलों को बीमित किया जा रहा है। इस योजना को राज्य में कलस्टर दृष्टिकोण से लागू किया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों को तीन कलस्टर में बांटा गया हैं।

इस योजना के अधीन किसानो का प्रीमियम का हिस्सा खरीफ में बीमित राशि का 2 प्रतिशत, रबी में बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत तथा बागवानी व वाणिज्यिक फसलों के लिए 5 प्रतिशत है। बाकी का हिस्सा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर के अनुपात मे वहन किया जाता है।

जोखिमः- इस योजना के तहत युद्ध तथा नाभिकीय जोखिम, द्वेषपूर्ण नुकसान तथा अन्य रोके जा सकने योग्य जोखिमों के इलावा सभी प्रकार के प्राकृतिक आपदांओं से फसलों में हुए नुकसान को योजना में शामिल है। इस योजना के तहत किसानों की फसलों में जोखिम को निम्न भागों में बांटा गया है:-

(क) स्थानीय आपदाएं: यदि किसान की फसल ओलावृष्टि, तथा जल भराव (धान फसल को छोडकर) के कारण नष्ट हो जाती है तो वह स्थानीय आपदा की श्रेणी में आती है। इसमें किसान को अपने नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर सम्बंधित कृषि विभाग के नजदीकी कार्यालय व ऑनलाईन दे सकते है। नुक्सान का आंकलन खण्ड कृषि विकास अधिकारी, बीमा कम्पनी द्वारा नियुक्त हानि निर्धारक तथा सम्बंधित किसान से मिलकर बनी टीम द्वारा सयुक्त रुप से किया जाता है। यह सर्वेक्षण 12 दिन के अन्दर किया जाना अनिवार्य होता है।

(ख) खड़ी फसल (बुआई से कटाई तक): यह जोखिम किसान के उत्पादकता को निश्चित करता है। इस जोखिम में सरकार सीजन से पहले फसल तथा जिलावार एक निश्चित उत्पादक सीमा तय करती है। जिसे पिछले सात में से बेहतर पांच साल के आंकडो से तय किया जाता है। बीमित फसल की कटाई के समय विभाग के कृषि विकास अधिकारी प्रत्येक गांव में प्रत्येक बीमित फसल पर चार फसल कटाई प्रयोग करते हैं। जिनकी तुलना सरकार द्वारा घोषित उत्पादक सीमा से की जाती है। कम रहने पर किसान को उसके अनुपात का क्लेम दे दिया जाता है। क्लेम का आंकलन निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जाती हैः-

$$\text{क्लेम (रूपये प्रति हैक्टेयर)} = \frac{\text{प्रारम्भिक पैदावार - वास्तविक पैदावार}}{\text{प्रारम्भिक पैदावार}} \times \text{बीमित राशि}$$

इस जोखिम में किसान को क्लेम प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के आवेदन की आवश्यकता नहीं होती। बीमित क्षेत्र (इकाई) में सभी बीमित किसानों को उपरोक्त सूत्र के आधार पर उनके बीमित क्षेत्रफल के अनुसार क्लेम दिया जाता है।

(ग) फसल कटाई के बाद हुई हानिः यदि किसान की फसल कटाई के अधिकतम दो सप्ताह तक खेतों में सूखाने के लिए रखने की स्थिति में चक्रवात, चक्रवातीय बारिश तथा बेमौसमी बारिश के कारण फसल को नुक्सान होता है तो वह योजना के फसल कटाई के बाद हुई हानि की श्रेणी में आती है। इसमें सम्बंधित किसान या उसके प्रतिनिधि को 72 घंटे के अन्दर नुक्सान की सूचना सम्बन्धित जिले के कृषि विभाग में या ऑनलाईन माध्यम से दे सकता है। नुक्सान का आंकलन खण्ड कृषि विकास अधिकारी, बीमा कम्पनी द्वारा नियुक्त हानि निर्धारक तथा सम्बधित किसान से मिलकर बनी टीम द्वारा संयुक्त रुप से किया जाता है।

इस योजना के क्रियान्वयन व निगरानी हेतू निम्न प्रकार की समितियां बनाई गई हैं। जिनका विवरण इस प्रकार से हैः-

क्र0 सं0	समिति	अध्यक्ष/सदस्य	उद्देश्य
1.	राज्य स्तरीय समन्वीय समिति (दिशा-निर्देशों के बिंदु संख्या 6.1.8)	1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि एंव किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष। 2. निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा - सदस्य। 3. निदेशक, भू अभिलेख, हरियाणा, पंचकूला -सदस्य। 4. प्रमुख सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग - सदस्य। 5. रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, हरियाणा पंचकुला - सदस्य। 6. निदेशक, आर्थिक तथा सांख्यिकीय विश्लेषण, हरियाणा सरकार, पंचकूला - सदस्य। 7. महानिदेशक, बागवानी, हरियाणा, पंचकूला - सदस्य। 8. निदेशक, भारतीय मौसम विभाग, क्षेत्रीय केन्द्र, चण्डीगढ़ - सदस्य। 9. निदेशक, विस्तार शिक्षा निदेशालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा - सदस्य। 10. निदेशक (क्रेडिट), भारत सरकार, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण, कृषि भवन, नई दिल्ली - सदस्य। 11. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, प्लॉट नं0 3, सेक्टर-34, चण्डीगढ़ - सदस्य। 12. महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक(आर0पी0सी0डी0), सैक्टर-17, चण्डीगढ़ - सदस्य। 13. सामान्य प्रबन्धक एंव संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर समिति पी0एन0बी0, जोनल कार्यालय, सैक्टर-17, चण्डीगढ़ - सदस्य। 14. प्रबन्धक निदेशक, हरियाणा राज्य एपैक्स सहकारी बैंक, सैक्टर-17, चण्डीगढ़ - सदस्य। 15. क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड, सैक्टर-20 चण्डीगढ़ - सदस्य। 16. क्षेत्रीय प्रबंधक/महाप्रबंधक/क्रियान्वित एजेंसियों के प्रधान, - सदस्य। 17. संयुक्त निदेशक (सांख्यिकीय) कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा - सदस्य सचिव।	यह समिति योजना की निगरानी, फसल का चयन एवं क्षेत्र अन्य सम्बन्धित सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए गठित की गई है।
2.	राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (दिशा-निर्देशों के बिंदु संख्या 30.4)	1. महानिदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) - सदस्य सचिव 3. वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र - सदस्य 4. संबंधित सहायक सांख्यिकी अधिकारी - सदस्य 5. सलाहकार फसल बीमा - सदस्य 6. उप जिला न्यायवादी (कानूनी) - सदस्य 7. प्रतिनिधि राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी - सदस्य	यह समिति राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सम्बंधित विवादो का निपटान करती है।

क्र0 सं0	समिति	अध्यक्ष/सदस्य	उद्देश्य
3.	राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (दिशा-निर्देशों के बिंदु संख्या 19.5)	1. महानिदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा - अध्यक्ष 2. अतिरिक्त कृषि निदेशक (विस्तार) - सदस्य 3. निदेशक, विस्तार शिक्षा निदेशालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा - सदस्य। 4. निदेशक, भारतीय मौसम विभाग, क्षेत्रीय केन्द्र, चण्डीगढ़ - सदस्य। 5. निदेशक हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा - सदस्य। 6. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के प्रतिनिधि - सदस्य 7. निदेशक, आर्थिक तथा सांख्यिकीय विश्लेषण, हरियाणा सरकार, पंचकूला - सदस्य। 8. क्रियान्वित एजेंसी के प्रतिनिधि - सदस्य 9. संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा - सदस्य सचिव।	यह समिति राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सम्बंधित तकनीकी विवादो का निपटान करती है।
4.	जिला स्तरीय निगरानी एवं शिकायत निवारण समिति (दिशा-निर्देशों के बिंदु संख्या 30.3)	1. सम्बिन्धित जिले के उपायुक्त - अध्यक्ष 2. जिला प्रतिनिधि, केन्द्रीय सहकारिता बैंक - सदस्य 3. सम्बन्धित जिले के जिला राजस्व अधिकारी - सदस्य 4. सम्बन्धित जिले के जिला सांख्यिकी अधिकारी - सदस्य 5. सम्बन्धि जिले के जिला बागवानी अधिकारी - सदस्य 6. सम्बन्धित जिला/ क्षेत्र के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के प्रतिनिधि - सदस्य 7. सम्बन्धित जिले के जिला प्रबंन्धक, नाबार्ड - सदस्य 8. सम्बन्धित जिले के लीड बैंक अधिकारी - सदस्य 9. सम्बन्धित जिले के सहायक सांख्यिकी अधिकारी - सदस्य 10. क्रियान्वित एजेंसी के प्रतिनिधि - सदस्य 11. सम्बन्धित जिले के उप कृषि निदेशक -सदस्य सचिव	यह समिति जिला स्तर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की निगरानी, योजना से सम्बंधित आवश्यक निर्णय एवं विवादो का निपटान करती है।
5.	स्थानीय आपदाओं तथा फसल कटाई के बाद हुई हानि के सर्वे के लिए समिति।	1. सम्बिन्धित खण्ड कृषि अधिकारी 2. सम्बन्धित बीमा कम्पनी का लोस एसैसर 3. सम्बन्धित किसान	यह समिति स्थानीय आपदाओं तथा फसल कटाई के बाद हुए नुकसान का खेत स्तर पर आंकलन करती है।

खरीफ 2016 से खरीफ 2022 तक स्कीम की प्रगति निम्नानुसार है।

(राशि करोड़ रुपये मे)

सीजन	कुल बीमित किसानों की संख्या	लाभान्वित किसानों की संख्या	प्रीमियम			कुल प्रीमियम	क्लेम
			किसानों का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	केन्द्र का हिस्सा		
खरीफ 2016	**738795**	**150881**	**127.36**	**83.32**	**46.16**	**256.84**	**234.23**
रबी 2016-17	**597298**	**62606**	**69.95**	**18.93**	**18.93**	**107.80**	**57.03**
खरीफ 2017	**632421**	**242699**	**124.87**	**114.36**	**61.82**	**301.04**	**805.00**
रबी 2017-18	**691246**	**77433**	**81.26**	**33.79**	**33.79**	**148.83**	**86.25**

खरीफ 2018	**722953**	**319454**	**139.08**	**260.85**	**181.00**	**580.93**	**804.49**
रबी 201819	**774947**	**90284**	**102.37**	**85.26**	**85.26**	**272.89**	**142.77**
खरीफ 2019	**820585**	**247547**	**167.43**	**399.51**	**289.70**	**856.64**	**590.76**
रबी 2019-20	**890453**	**313145**	**101.63**	**131.56**	**131.56**	**364.75**	**345.77**
खरीफ 2020	**887258**	**354807**	**264.71**	**349.53**	**349.43**	**963.68**	**1109.82**
रबी 2020-21	**757035**	**117844**	**79.85**	**132.13**	**132.02**	**344.01**	**157.84**
खरीफ 2021	**746606**	**423450**	**242.49**	**319.25**	**319.25**	**880.99**	**1400.08**
रबी 2021-22	**733674**	**220735**	**76.07**	**136.40**	**136.32**	**348.78**	**253.73**
खरीफ 2022	**818761**	**278688**	**287.08**	**366.65**	**366.66**	**1020.40**	**1102.77**
कुल	**9812032**	**2899573**	**1864.13**	**2431.54**	**2151.91**	**6447.59**	**7090.52**

राज्य मे खरीफ 2022 के दौरान बीमा कम्पनियों द्वारा फसल कटाई प्रयोंगों की प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज की गई थी जिसके उपरान्त मामले को गम्भीरता से लेते हुए विभाग द्वारा राज्य स्तरीय बैठके की गई और बैठक में भारत सरकार व बीमा कम्पनी के मुख्य कार्यालय के अधिकारियों को भी शामिल किया गया तथा बैठक के निर्णय अनुसार विभाग द्वारा दो जांच समितियां बैठाई गई एक जांच कमेटी में तकनीकी खामियों की जांच की गई तथा दूसरी जांच कमेटी में फसल कटाई प्रयोगों की रसीदों की जांच की गई। जांच रिपोर्ट अनुसार विभाग द्वारा दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। दोनों समितियों की जांच उपरान्त यह मामला राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के मध्य रखा गया। राज्य तकनीकी सलाहकार समिति ने सभी बिंदूओं के मध्यनजर बीमा कम्पनी को क्लेम देने का निर्देश दिया। इस फैसले को न मानते हुए बीमा कम्पनी ने भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति में अपील की गई और भारत सरकार ने इस अपील पर राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के निर्णय को ही सही मानते हुए बीमा कम्पनी को क्लेम देने के निर्देश दिये गये है। इस क्लेम को देने बारे बीमा कम्पनी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है तथा किसानों को शीघ्र ही उचित क्लेम मिल जायेगा। राज्य सरकार किसानों के हित में हर सम्भव प्रयास करती रहती है और आगे भी करती रहेगी।

हरियाणा विधान सभा सचिवालय

29 अगस्त, 2023

के लिए स्वीकृत

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-9

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 9 के द्वारा, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक ने सिरसा के गांव नारायण खेड़ा, तहसील ऐलनाबाद के 4 किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्र्तगत खरीफ सीजन की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर लगातार कई दिन से जलघर की टंकीपर चढ़े हुए है। इस क्षेत्र के किसानों को खरीफ फसल 2022 का बीमा का मुआवजा नहीं मिलने के कारण किसान 5 मई से नाथूसरी चौपटा तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे है। इस प्रदर्शन को लगभग 90 दिन से अधिक समय बीत चुका है परंतु सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए किसानों की कोई सुध नहीं ली गई है। जिसको लेकर पूरे जिले के किसानों में सरकार के प्रति गहरा रोष और आक्रोष है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे।

चण्डीगढ़ आर.के.नांदल

दिनांक 25 अगस्त 2023 सचिव

REPLY OF CALLING ATTENTION NO. 9 BY SHRI JAI PRAKASH DALAL, AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE MINISTER, HARYANA

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is being implemented in the State from Kharif 2016. Paddy, Bajra, Maize, Cotton, Moong in Kharif season and Wheat, Mustard, Gram, Barley and Sunflower crops are being insured in Rabi season. The scheme is being implemented by dividing the state into three clusters. There are 7 districts in I & II cluster while there are 8 districts in III cluster. Under this scheme, the farmers' share of premium is 2 % of sum insured for Kharif, 1.5 % of sum insured for Rabi and 5 % of sum insured for horticulture and commercial crops. Speaker Sir, you are informed about that actually this matter is related to Sirsa district. Presently Sirsa is in the first cluster and Agriculture Insurance Company is working in the districts. During Kharif 2022, an objection was raised by the Agriculture Insurance Company on the process of Crop Cutting Experiments of the Department. In Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, there is a legal agreement between Insurance Company and Department. According to the Clause No. 30 of the Operational Guidelines issued by the Government of India, the grievance mechanism system of the scheme has been made in which District Level Monitoring Committee at District level, State Level Monitoring Committee/ State Technical Advisory Committee at State level and Technical Advisory Committee at National level etc. constituted for redressal of grievances. The farmers of Sirsa district submitted their applications before Deputy Commissioner, Sirsa. After which the Department, issues of farmers was placed along with the facts before the State Technical Advisory Committee at the State level. The State Technical Advisory Committee decides the matter in favour of farmers and directed Insurance Company to release the claims. But under the legal provisions, the Insurance Company disagreed with the decision of the State Technical Advisory Committee and appealed to the Technical Advisory Committee, Government of India. After which the matter was placed before the Technical Advisory Committee, Government of India. The Agriculture Department firmly presented the farmers' side with all the facts before the Technical Advisory Committee. The Technical Advisory Committee of the Government of India has passed its decision on 21-08-2023 in which the farmers won. The Department and the Government are sensitive towards the farmers. The Technical Advisory Committee accepted the earlier decision passed by the State Technical Advisory Committee in its decision and ordered the Agriculture Insurance Company to release the Rs. 623 crore expected claim/compensation immediately. It is expected that the claim will be disbursed to the farmers by the Insurance Company soon. After getting the information of this, a wave of happiness ran among the farmers and the

farmers got down from the tank and the protest of the farmers also ended. Therefore, the Agriculture Department, Haryana has directed the Agriculture Insurance Company to release the claim soon as per the decision passed by the Technical Advisory Committee, Government of India.

NOTE FOR PAD

CALLING ATTENTION NO. 9

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is being implemented in the State from Kharif 2016. Paddy, Bajra, Maize, Cotton, Moong in Kharif season and Wheat, Mustard, Gram, Barley and Sunflower crops are being insured in Rabi season. The scheme is being implementing in the state as cluster approach. All the districts of the state are divided into three clusters. Under the scheme, the farmer's share of premium is 2% of sum insured in Kharif and 1.5% of sum insured in Rabi and 5% for horticultural & commercial crops. The remaining premium is borne by the Central and State Government in equal proportion.

Risk: - The scheme covers all kinds of natural calamities in addition to war and nuclear risks, malicious damage and other preventable risks. Under this scheme, the risks in the crops of the farmers have been divided into the following parts.

a) **Localized Calamities: -** If the farmer's crop is damage due to hailstorm and inundation (except paddy). This kind of risk lies under localized calamities. The farmer has to report the loss to nearest office of the Agriculture Department of the district concerned within 72 hours or online. The assessment of the loss is done jointly by the team consisting of the officers of Agriculture department, the loss assessor appointed by the Insurance Company and the concerned farmer or his representative.

b) **Standing Crop (from Sowing to Harvesting): -** This risk determines the productivity of the farmer. In this risk, the government fixes a certain crop and district wise limit of production before the season. This is determined by the data of better five years out of last seven years. Agriculture Development Officer Conducts four crop cutting experiments for each insured crop in each village during the harvesting time of insured crop. Which are compared with the productive limit declared by the Government. In case of yield shortfall, all the insured farmers of the unit are given claim on proportion. The claim is calculated on the basis of following formula: -

$$\text{Claim (Rs. per hectare)} = \frac{\text{Threshold Yield - Actual Yield}}{\text{Threshold Yield}} \times \text{Sum Assured}$$

In this risk, no application is required to get claim by the farmers. All the insured farmers in the insured area (unit) are given claims according to their insured area based on the above formula.

c) **Post Harvesting Loss: -** If the crop is damaged due to cyclone, cyclonic rain and unseasonal rains, if the farmer's crop is kept dry in the fields for a maximum of two weeks after harvesting, then it comes under the category of post-harvest loss of the

scheme. The farmer has to report the loss to nearest office of the Agriculture Department of the district concerned within 72 hours or online. The assessment of the loss is done jointly by the team consisting of the officers of Agriculture department, the loss assessor appointed by the Insurance Company and the concerned farmer or his representative.

Various committees have been formed for the implementation and monitoring of the scheme, which are as under:

Sr. No	Committee	Chairman/Member's	Objective
1.	State Level Coordination Committee on Crop Insurance (OGs clause No.6.1.8)	1. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, to Government Haryana, Agriculture and Farmer's Welfare Department, Chandigarh-Chairman 2. Director General Agriculture and Farmer's Welfare, Haryana, Panchkula-Member 3. Director Land records, Haryana, Panchkula-Member. 4. Special Secretary to Government of Haryana, Finance Department-Member. 5. Registrar, Cooperative Societies, Haryana, Panchkula-Member. 6. Director, Economic & Statistical Analyses, Government of Haryana, Panchkula-Member. 7. Director General, Horticulture Haryana, Panchkula-Member. 8. Director, IMD Regional Centre, Chandigarh-Member 9. Director, Directorate of Extension Education Chaudhary Charan Singh Haryana-Member Agricultural University, Hisar, Haryana 10. Director (Credit), Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Krishi Bhawan, New Delhi- Member. 11. Chief General Manager, NABARD, Plot No.3, Sector 34, Chandigarh-Member. 12. General Manager, Reserve Bank of India (RPCD) Central Vista, Sector-17, Chandigarh-Member. 13. General Manager-cum-Convener, State Level Bankers Committee, Punjab National Bank, Zonal Office, Sector-17, Chandigarh-Member. 14. Managing Director, Haryana State Cooperative	This committee is constituted to monitor, crop selection and to take decision on other concerned aspects of the scheme.

Sr. No	Committee	Chairman/Member's	Objective
		Apex Bank, Sector-17, Chandigarh-Member. 15. General Manager, Agriculture Insurance Company of India Limited, 13th Floor, Ambadeep Building, 14 Kasturba Gandhi Marg, Connaught Place New Delhi-110001- Member. 16. Regional Manager/ General Manager/ Head of the Implementing Agencies-Member. 17. Joint Director (Statistics), Directorate of Agriculture, Haryana, Panchkula-Member secretary	
2.	State Level Grievances Committee (OGs clause No. 30.4)	1. Director General, Agriculture and Farmers Welfare, Haryana, Panchkula- Chairman 2. Joint Director (Stat.)-Member Secretary 3. Scientist From K.V.K-Member 4. Concerned Assistant Statistical Officer-Member 5. Consultant Crop Insurance-Member 6. Deputy District Attorney (Legal)-Member 7. Representative of SLBC-Member.	This committee is constituted at state level to resolve the issues related to Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana scheme.
3.	State Technical Advisory Committee (OGs clause No. 19.5)	1. Director General, Agriculture and Farmers Welfare, Haryana, Panchkula- Chairman 2. Additional Director (Extension), Agriculture and Farmers Welfare, Haryana- Member 3. Director (Extension Education), CCS HAU, Hisar- Member 4. Director, IMD, Regional Centre, Chandigarh-Member 5. Director, HARSAC, CCS HAU, Hisar- Member 6. Representative of NSSO- Member 7. Director, DESA, Haryana- Member 8. Representative of implementing insurance companies- Member 9. Joint Director (Stat.)-Member Secretary	This committee resolves technical disputes related to Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana at the state level.
4.	District Level Monitoring Committee/ District Level Grievances Committee (OGs clause No. 30.3)	1. Deputy Commissioner of concerned district-Chairman 2. District Representative, Central Co-operative Bank of concerned district-Member. 3. District Revenue Officer of concerned district-Member. 4. District Statistical Officer of concerned district-Member. 5. District Horticulture officer of concerned district-Member. 6. Representative of NSSO from related district/	This committee is constituted at district level for monitoring, important decision and resolve the issue related to Pradhan MantriFasalBimaYojana.

Sr. No	Committee	Chairman/Member's	Objective
		area-Member. 7. District Manager, NABARD of concerned district-Member. 8. Lead Bank Officer of concerned district-Member. 9. Assistant Statistical Officer of Concerned district-Member. 10. Representative of the Implementing Agencies-Member. 11. Deputy Director of Agriculture of concerned district-Member Secretary.	
5.	Loss Inspection committee of localized and Crop Cutting Experiments.	1. Agriculture Department officer. 2. Loss assessors of concerned insurance company. 3. Concerned farmers and its representative.	This committee has assessment of localized calamities and loss after crop cutting at field level.

Progress of the scheme from Kharif 2016 to Kharif 2020 is as under: -

(Amount in Rs. Crore)

Season	Total Farmers Covered	Nos. of Farmers benefited	Collected Premium			Total Premium	Claim
			Farmers Share	State Share	Central Share		
Kharif 2016	738795	150881	127.36	83.32	46.16	256.84	234.23
Rabi 2016-17	597298	62606	69.95	18.93	18.93	107.80	57.03
Kharif 2017	632421	242699	124.87	114.36	61.82	301.04	805.00
Rabi 2017-18	691246	77433	81.26	33.79	33.79	148.83	86.25
Kharif 2018	722953	319454	139.08	260.85	181.00	580.93	804.49
Rabi 2018-19	774947	90284	102.37	85.26	85.26	272.89	142.77
Kharif 2019	820585	247547	167.43	399.51	289.70	856.64	590.76
Rabi 2019-20	890453	313145	101.63	131.56	131.56	364.75	345.77
Kharif 2020	887258	354807	264.71	349.53	349.43	963.68	1109.82
Rabi 2020-21	757035	117844	79.85	132.13	132.02	344.01	157.84
Kharif 2021	746606	423450	242.49	319.25	319.25	880.99	1400.08
Rabi 2021-22	733674	220735	76.07	136.40	136.32	348.78	253.73
Kharif 2022	818761	278688	287.08	366.65	366.66	1020.40	1102.77
Total	**9812032**	**2899573**	**1864.13**	**2431.54**	**2151.91**	**6447.59**	**7090.52**

During Kharif 2022, objection was raised by the Insurance Company on the process of Crop Cutting Experiments in the state. After which the matter was taking seriously, the

meetings were held by the department at state level in which the officials from Government of India and head office of insurance company were also present. According the decision of the meeting, two committees were constituted by the department to inquire the matter. Technical faults were examined by the first inquiry committee and the receipts of crop cutting experiments were examined by the second inquiry committee. According to the investigation report, action is being taken by the Department against the guilty officers/officials. After investigation by the both committees, the matter was placed before the State Technical Advisory Committee. The State Technical Advisory Committee directed the Insurance Company to pay the claim keeping in view all the points. The Insurance Company disagreed with the decision and appealed to the Technical Advisory Committee, Government of India. Government of India has directed to Insurance Company to pay the claim considering the decision earlier passed by the State Technical Advisory Committee on this appeal. The Insurance Company has started the disbursement process of claim and the farmers will get the claim soon. The state government continues to make every possible effort in the interest of the farmers and will continue to do so in the future.